नाबार्ड

सं. राबैं. पुनर्वित्त/17/पीपीएस-9/2020-21	Ref. No. NB.DoR /17/PPS-9/2020-21
13 अप्रैल 2020	13 April 2020
परिपत्र सं. 97 / पुनर्वित्त – 25 / 2020	Circular No. 97 / DoR - 25 / 2020
प्रबंध निदेशक सभी अनुसूचित प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक	The Managing Director All Scheduled Primary Urban Cooperative Banks
महोदया / प्रिय महोदय	Madam/Dear Sir,
वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु योजनाबद्ध ऋण के लिए पुनर्वित्त नीति – प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक – (पीयूसीबी)	**Refinance Policy for Schematic Lending for F. Y. 2020-21 – Primary Urban Cooperative Banks (PUCBs)**
वित्त वर्ष 2020-21 के लिए प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों के योजनाबद्ध ऋण के लिए पुनर्वित्त नीति को अंतिम रूप दिया गया है और यह इसमें संलग्न है. इस संबंध में यह नीति सभी वर्तमान नीतियों का अधिक्रमण करती है.	Refinance Policy for Schematic Lending for the year 2020-21 for Primary Urban Cooperative Banks is finalized and enclosed herewith. This Policy supersedes all the existing policies in this regard.
2. परिपत्र नाबार्ड की वेबसाइट www.nabard.org पर टैब सूचना सेंटर के अंतर्गत उपलब्ध है.	2. The Circular is also available on NABARD website www.nabard.org under the tab information Centre.
3. कृपया पावती दें.	3. Please acknowledge receipt.

भवदीय Yours faithfully

(जीजी माम्मेन Jiji Mammen)
मुख्य महाप्रबंधक Chief General Manager

अनुलग्नक Encls: 8 पृष्ठ pages

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक
National Bank for Agriculture and Rural Development
पुनर्वित्त विभाग
प्लॉट नं. सी-'24', जी ब्लॉक, बान्द्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (पूर्व), मुंबई - 400 051. • टेलि : 022 2652 4926 • फैक्स : 022 2653 0090 • ई-मेल : dor@nabard.org
Department of Refinance
Plot No. C-24, 'G' Block, Bandra-Kurla Complex, Bandra (E), Mumbi - 400 051 • Tel. 022 2652 4926 • Fax : 022 2653 0090 • E-mail : cvc@nabard.org

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योजनाबद्ध ऋणीकरण के लिए पुनर्वित्त नीति

Refinance Policy for Schematic Lending for F. Y. 2020-2021

1. प्रस्तावना Introduction

नाबार्ड, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम, 1981 की धारा 25(i)(क) के प्रावधानों के अधीन अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं को कृषि क्षेत्र में निवेश गतिविधियों, अनुषंगी गतिविधियों और ग्रामीण कृषीतर क्षेत्र आदि को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए उनके संसाधनों के अनुपूरक के रूप में दीर्घावधि पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है.

NABARD has been providing long-term refinance to the approved financial institutions under the provisions of Section 25(i)(a) of NABARD Act, 1981 to supplement their resources for providing adequate credit for taking up investment activities in agriculture & allied activities and rural off-farm sector etc.

2. उद्देश्य Objectives

- कृषि और अनुषंगी गतिविधियों में पूंजी निर्माण के लिए सहायता.
  Supporting capital formation in agriculture and allied activities.
- प्रमुख गतिविधियों के संवर्धन के लिए ऋण प्रदान करना.
  Directing flow of credit for promotion of thrust activities.
- संयुक्त देयता समूहों और स्वयं सहायता समूहों की ऋण आवश्यकताओं की पूर्ति.
  To meet the credit requirement of JLGs, SHGs, FPOs and Others.
- कृषीतर क्षेत्र गतिविधियों को सहायता देकर ग्रामीण इलाकों में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहन देना.
  Promoting alternate employment opportunities in rural and semi urban areas by supporting off-farm sector activities.

3. पुनर्वित्त सुविधा का स्वरूप Nature of Accommodation

विभिन्न प्रयोजनों के लिए बैंकों द्वारा किए गए संवितरण के संबंध में बैंकों को निम्नलिखित दो सुविधाओं के अंतर्गत पुनर्वित्त सहायता प्रदान की जाती है.

Refinance assistance is provided to the banks in respect of their disbursement for various purposes under the following two windows:

3.1 स्वतः पुनर्वित्त सुविधा (एआरएफ) Automatic Refinance Facility (ARF)

स्वतः पुनर्वित्त सुविधा के अंतर्गत बैंक, स्वीकृति-पूर्व औपचारिकताओं की विस्तृत प्रक्रिया से गुजरे बिना नाबार्ड से वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं. बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे प्रस्तावों का अपने स्तर पर मूल्यांकन करेंगे और उधारकर्ता का वित्तपोषण करेंगे. तत्पश्चात् बैंक विभिन्न प्रयोजनों हेतु संवितरित ऋण का उल्लेख करते हुए नाबार्ड से घोषणा आधार पर (आहरण आवेदन) पुनर्वित्त का दावा कर सकते हैं. ऐसे मामलों में नाबार्ड पुनर्वित्त की स्वीकृति और संवितरण साथ-साथ करता है.

Automatic Refinance Facility (ARF) enables banks to obtain financial accommodation from NABARD, without going through the detailed procedure of pre- sanction formalities. Banks are expected to appraise the proposals at their own level and finance the borrowers. Banks then claim refinance from NABARD on the basis of a declaration (drawal application), indicating the various purposes for which refinance has been claimed and the loan amount disbursed. In such cases, the sanction and disbursement of refinance are attended to simultaneously by NABARD.

स्वत: पुनर्वित्त सुविधा पुनर्वित्त की प्रमात्रा, बैंक ऋण या कृषि क्षेत्र (एफएस) और कृषीतर क्षेत्र के तहत सभी प्रकार की परियोजनाओं के लिए कुल वित्तीय परिव्यय की बिना किसी उच्चतम सीमा के दी जाती है.

Automatic Refinance Facility is extended without any upper ceiling of quantum of refinance, bank loan or Total Financial Outlay for all kinds of projects under Farm Sector (FS) & Off-Farm Sector.

3.2 पूर्व-स्वीकृति सुविधा Pre-Sanction

बैंक स्वीकृति-पूर्व प्रक्रिया के अंतर्गत पुनर्वित्त सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें परियोजनाओं को नाबार्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करना होगा. इन परियोजनाओं की स्वीकृति से पहले नाबार्ड उनकी तकनीकी व्यवहार्यता, वित्तीय लाभप्रदता और बैंक की दृष्टि से योग्यता निर्धारित करने के लिए मूल्यांकन करता है.

If the banks intend to avail refinance under pre sanction procedure they are required to submit the projects for approval of NABARD. Before sanction of the same, NABARD appraises these projects to determine its technical feasibility, financial viability and bankability.

4. पात्रता मानदंड Eligibility Criteria

नाबार्ड से पुनर्वित्त के आहरण के लिए पात्रता मानदंडों की समय-समय पर समीक्षा की जाती है. भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा "वित्तीय रूप से सशक्त और सुव्यवस्थित प्रबंधित" के रूप में वर्गीकृत किए जाने के लिए निर्धारित निम्नलिखित शर्तों का पालन करने वाले प्राथमिक शहकरी सहकारी बैंक, नाबार्ड से पुनर्वित्त प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे:

Eligibility criteria for drawal of refinance from NABARD are reviewed from time to time. PUCBs which satisfy the following conditions prescribed by RBI, for being classified as "financially sound and well managed" will be eligible to draw refinance from NABARD:

4.1

क. पूंजी पर्याप्तता अनुपात – सीआरएआर 10% से कम नहीं होना चाहिए.
ख. सकल अनर्जक आस्तियां – एनपीए 7% से कम और निवल अनर्जक आस्तियां 3% से अधिक नहीं होनी चाहिए.
ग. अनुसूचित बैंक होना चाहिए.

घ. लेखापरीक्षा श्रेणी 'ए' या 'बी' होनी चाहिए.

ङ. पूर्वगामी चार वर्षों (2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19) में से कम-से-कम तीन वर्षों में शुद्ध लाभ कमाना चाहिए और पिछले वर्ष (2018-19) में शुद्ध हानि नहीं होनी चाहिए.

च. पिछले वित्तीय वर्ष में प्रारक्षित नकद अनुपात-सीआरआर और / अथवा सांविधिक तरलता अनुपात – एसएलआर को बनाए रखने में कोई चूक नहीं होनी चाहिए.

छ. कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस) को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए.

क. CRAR of more than 10%.

ख. Gross NPA of less than 7%

ग. Net NPAs of less than 3%

घ. Should be a scheduled bank.

ङ. With 'A' or 'B' audit classification

च. Net profit for at least three out of the preceding four years (3 financial years out of 2016-17, 2017-18, 2018-19 and 2019-20) subject to it not having incurred a net loss in the immediate preceding year (2019-20)

छ. No default in the maintenance of CRR and / or SLR during the preceding financial year.

ज. Core Banking Solution (CBS) fully implemented.

4.2 01 अप्रैल 2020 से 30 जून 2020 के दौरान पात्रता मानदंड 31 मार्च 2019 अथवा 31.03.2020 (यदि उपलब्ध हो) की उनकी लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति के आधार पर निर्धारित की जाएगी. 01 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक यह 31 मार्च 2020 की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति के आधार पर निर्धारित की जाएगी. 01 जुलाई 2020 को अथवा उसके बाद स्वीकृति और आहरणों की अनुमति केवल लेखापरीक्षा पूर्ण करने वाले बैंकों को होगी.

Eligibility Criteria during 01 April 2020 to 30 June 2020 will be based on their audited financial position as on 31.03.2019 or 31.03.2020 (if audited position as on 31.03.2020 is available). From 01 July 2020 to 31 March 2021, the same will be based on their audited financial position as on 31.03.2020. Sanction and drawals on or after 01 July 2020 will be permitted only to such banks, which have completed the audit.

4.2. 31 मार्च 2020 के बाद वित्तीय स्थिति में कोई सुधार होता है, तो बैंक के वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्षा और सनदी लेखाकार से प्राप्त विधिवत् प्रमाणपत्र और नाबार्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की सिफ़ारिश के आधार पर प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा.

Any improvement or deterioration in the financial parameters after 31.03.2020 may be considered, based on limited review financial results of the bank with a certificate from the Chartered accountant and duly recommended by NABARD RO.

4.3. सरकार-प्रायोजित योजनाओं सहित कृषि और कृषीतर दोनों क्षेत्रों के अधीन पुनर्वित्त आहरण के लिए पात्रता मानदंड लागू होंगे.

The eligibility norms will be applicable for drawal of refinance under both Farm and Off-Farm Sectors including Government Sponsored Schemes.

5. पात्र प्रयोजन Eligible Purposes

5.1 आहरण आवेदन तिथि को बैंक के बही खातों में 18 महीनों से अधिक की अवधि की परिपक्वता अवधि के कृषि, सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योग और अन्य बकाया ऋण पुनर्वित्त के लिए पात्र होंगे.

Agriculture, MSME and other eligible loans which are outstanding in the books of the bank with a residual maturity period of more than 18 months as on the date of drawal application will be eligible for refinance.

5.2 कृषि क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल गतिविधियों की सूची अनुबंध I में दी गई है. सूची निदर्शी है और न कि सम्पूर्ण. कृषि और ग्रामीण विकास के संवर्धन में सहायक अनुबंध में उल्लेख न की गई गतिविधियों को भी शामिल किया जा सकता है.

List of activities covered under Farm sector and other sectors is mentioned in Annexure I. The list is only illustrative but not exhaustive. Activities not mentioned therein may also be covered if, it facilitates the promotion of agriculture and rural development.

5.3 बल क्षेत्र Thrust Areas

हमारे पुनर्वित्त से बल क्षेत्रों को सहायता प्रदान करने के प्रयास किए जाएँ. भूमि विकास, लघु और सूक्ष्म सिंचाई, जल बचाव और जल संरक्षण उपकरण, मत्स्यपालन, पशुपालन, स्वयं सहायता समूह/ संयुक्त देयता समूह/ रैतु मित्र समूह (आरएमजी), कृषि-क्लिनिक्स और कृषि-व्यवसाय केंद्र, ग्रामीण आवासन, कृषि-प्रसंस्करण, परती भूमि विकास, शुष्क भूमि खेती, ठेका खेती, क्षेत्र विकास योजनाएं, बागान और बागवानी, कृषि-वानिकी, बीज उत्पादन, ऊतक संवर्धन, पौध उत्पादन, (शीत भंडारण, गोदाम, मार्केट यार्ड आदि सहित) कृषि-विपणन आधारभूत सुविधाएं, कृषि उपकरण, गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत, वाटरशेड क्षेत्रों में वित्तपोषण और पहले से कार्यान्वित किए गए आदिवासी विकास कार्यक्रम शामिल हैं.

Efforts may be made to support thrust areas through our refinance. The thrust areas include land development, minor & micro irrigation, water saving and water conservation devices, fisheries, animal husbandry, SHGs / JLGs / Rythu Mithra Groups (RMGs), agri-clinics and agri-business centres, rural housing, agro-processing, wasteland development, dryland farming, contract farming, area development schemes, plantation & horticulture, agro-forestry, seed production, tissue culture plant production, agri-marketing infrastructure (including cold storage, godowns, market yards etc.), agriculture implements, non-conventional energy sources,

financing in areas of watershed & tribal development programmes already implemented.

बैंकों को, बागान और बागवानी क्षेत्र के अंतर्गत नवोन्मेषी/ बल क्षेत्रों की विभिन्न गतिविधियों जैसे नियंत्रित परिस्थितियों अर्थात् पॉली हाउस/ ग्रीन हाउस में उच्च मूल्य/ विदेशी प्रजातियों की सब्जियां, कट फ्लावर के उत्पादन, मशरूम के उच्च तकनीक निर्यातोन्मुख उत्पादन इकाइयों, ऊतक संवर्धन प्रयोगशालाओं की स्थापना सब्जियों और फलों के उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रिसिजन फार्मिंग, ब बागान/फलोत्पादन और बागवानी फसलों के लिए ड्रिप सिंचाई व्यवस्था जैसी प्रणालियों की स्थापना जैसी गतिविधियों के वित्तपोषण को प्राथमिकता प्रदान देनी चाहिए.

Preference may be given to finance innovative / thrust areas for various activities under plantation and horticulture sector such as production of high value exotic vegetables, cut flowers under controlled conditions i.e. poly house / green house, establishment of hi-tech export oriented production like mushroom, tissue culture labs, precision farming for enhancement of productivity in vegetables and fruits, installation of micro irrigation systems like drip for orchard and plantation crops.

6. पुनर्वित्त की सीमा Extent of Refinance

6.1 सिक्किम, पर्वतीय क्षेत्र (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड) सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों (असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मीज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा), पूर्वी राज्यों (पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), लक्षद्वीप और छत्तीसगढ़ के लिए पुनर्वित्त की प्रमात्रा सभी प्रयोजनों के लिए पात्र बैंक ऋणों के 100% होगी. अन्य क्षेत्रों के लिए पुनर्वित्त की सीमा निम्नानुसार होनी चाहिए.

The extent of refinance for the States in North Eastern Region (Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura) including Sikkim, Hilly Region (Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh, Uttarakhand), Eastern Region (West Bengal, Odisha, Bihar, Jharkhand and Andaman & Nicobar Islands), Lakshadweep and Chhattisgarh will be 95% of eligible bank loans for all purposes. For Other Regions the extent of refinance shall be:

क) क्रम सं.5.3 में किए गए उल्लेख के अनुसार सभी बल क्षेत्रों के लिए 100%;

a) 95% for all thrust areas as indicated at Sr. No. 5.3

ख) सभी अन्य विविधीकृत प्रयोजनों और कृषक साथी योजना के लिए 95%.

b) 90% for all other diversified purposes and Krishak Sathi Yojana

7. ब्याज दर Interest rate

7.1 पुनर्वित्त पर ब्याज

नाबार्ड, पुनर्वित्त पर ब्याज दरों का निर्धारण समयावधि, वर्तमान बाजार दर, जोखिम अवधारणा आदि के आधार पर करेगा और समय-समय पर इसमें संशोधन किया जा सकता है.

Interest on refinance: The interest rates on refinance will be decided by NABARD based on tenor, prevailing market rate, risk perception etc. and is subject to revision from time to time.

7.2 दंडात्मक ब्याज Penal interest

चूक होने पर, जिस दर पर पुनर्वित्त वितरित किया गया था उससे वार्षिक 2.00% अधिक अतिरिक्त ब्याज दर चूक की राशि पर चूक की अवधि के लिए लगाई जाएगी.

In the event of default, penal interest rate of 2.00% over and above the interest rate at which refinance was disbursed, will be charged on the amount of default and for the period of default.

7.3 पुनर्वित्त के अवधि-पूर्व भुगतान के लिए दंड : पुनर्वित्त के अवधि-पूर्व भुगतान पर दंड की दर 2.50% प्रति वर्ष होगी और भुगतान की निर्धारित तिथि से पहले किए गए भुगतान से देय किस्त की वास्तविक तिथि तक की सम्पूर्ण अवधि (न्यूनतम 6 माह) के लिए प्रत्येक देय किस्त के लिए दंडात्मक ब्याज प्रभारित किया जाएगा. अवधि पूर्व भुगतान तीन कार्य दिवस की सूचना देकर ही किया जा सकता है.

Penalty for prepayment of refinance: The rate of pre-payment penalty will be 2.50% p.a. and will be chargeable for each instalment due separately for the entire period (minimum 6 months) from the date of pre-payment to the date on which the instalment is actually due for payment. The prepayment can only be initiated after minimum notice of 3 working days.

8. चुकौती अवधि Repayment period

पुनर्वित्त की चुकौती अवधि 18 महीनों (न्यूनतम) से 5 वर्ष या उससे अधिक होगी और मूलधन की चुकौती तिमाही आधार पर 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च होंगी. ब्याज की अदायगी 01 जुलाई, 01 अक्तूबर, 01 जनवरी और 01 अप्रैल देय होगी. तिमाही के दौरान किसी भी दिन स्वीकृत पुनर्वित्त के मूलधन की राशि अगली तिमाही में देय होगी.

Repayment period ranges between 18 months (minimum) and 5 years or above. The due date for repayment of principal and interest will be **quarterly with principal due dates on 30th June, 30th Sep, 31st Dec and 31st March** and interest due dates on 1st July, 1st October, 1st January and 1st April. The first due date of principal amount for refinance sanctioned on any date in a quarter will fall in next quarter.

9. प्रतिभूति Security

पुनर्वित्त या अन्य माध्यमों से दिए गए ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रतिभूति नाबार्ड द्वारा सामान्य पुनर्वित्त करार (जीआरए)/ स्वीकृति पत्र में विनिर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार रहेगी. इसके अलावा, बैंक को

भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखे चालू खाते के संबंध में नाबार्ड के पक्ष में एक विधिवत अधिदेश प्राप्त करना होगा.

The security for loans and advances by way of refinance or otherwise shall be such as may be specified by NABARD in the General Refinance Agreement (GRA)/ Letter(s) of sanction. Besides, a Mandate in favour of NABARD will have to be duly obtained by the bank from RBI, where its current account is maintained.

10. अन्य नियम और शर्तें Other terms and conditions

10.1 नाबार्ड से पुनर्वित्त लेने वाले प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति की जांच और लेखापरीक्षित तुलन पत्र, लेखापरीक्षा रिपोर्टें, बही खातों और संबंधित दस्तावेजों की जांच के माध्यम से बैंकों की सामान्य कार्यप्रणाली की जांच के लिए नाबार्ड इन बैंकों का छमाही दौरा करेगा. प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को सारी जानकारी इन अधिकारियों को देनी होगी.

NABARD may undertake half-yearly visits to the PUCBs which are availing refinance for examination of the financial health and general functioning of the banks through scrutiny of audited balance sheet, audit reports, books of accounts, relevant documents etc. PUCBs are required to provide all information required by the visiting officers.

10.2 प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों को नाबार्ड को समय-समय पर आवश्यक जानकारी नाबार्ड को देनी होगी.

PUCBs shall also be required to furnish to NABARD all such information as may be required by NABARD from time to time.

10.3 पुनर्वित्त के निबंधनों व शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए स्थल पर सत्यापन/ जांच का अधिकार नाबार्ड को होगा.

NABARD reserves the right to conduct spot verification / checks to ensure that the terms and conditions of refinance are adhered to.

10.4 वर्तमान नियमों और विनियमों का अनपालन और पुनर्वित्त के नियम व शर्तों का पालन सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड को स्वयं या (उधारकर्ता के खर्च पर) किसी अन्य संस्था के माध्यम से बैंक की बहियों और अन्य संबंधित सामग्री की विशेष लेखापरीक्षा का अधिकार होगा.

NABARD shall have the right to cause special audit of the books and other relevant material of the bank either by itself or through other agencies (at borrowing entity's cost) to ensure that same are maintained as per rules and regulations in force and the terms and conditions of refinance are adhered to by the bank.

11. वर्तमान में लागू अन्य सभी निबंधन व शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी.

All other existing terms and conditions will remain unchanged.